

बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

आदेश

बिहार राज्य की काराओं में प्रशिक्षित गृह रक्षकों एवं भूतपूर्व सैनिकों से कक्षपाल के पद पर नियुक्ति हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या-10/2013 के आलोक में आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पत्रांक 1670/आ० दिनांक 21.05.2015 द्वारा कक्षपाल के पद के लिए भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में अधियाचित पद के विरुद्ध चिकित्सीय परीक्षण एवं नियुक्ति हेतु कुल 544 अभ्यर्थियों की आरक्षण कोटिवार अनुशंसा प्राप्त हुई। तद्आलोक में निरीक्षणालय के पत्रांक 3221 दिनांक 29.05.2015 द्वारा कुल 544 अभ्यर्थियों की चिकित्सीय एवं अन्य जाँच दिनांक 09.06.2015 से 11.06.2015 के बीच कराने हेतु बुलावा पत्र भेजा गया। उक्त के आलोक में कुल 544 के विरुद्ध जाँचोपरान्त तत्काल 405 (चार सौ पाँच) अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु योग्य पाया गया। तद्आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक-3679 दिनांक 25.06.2015 द्वारा 405 कक्षपालों की नियुक्ति की गई। शेष बचे अभ्यर्थियों को कतिपय त्रुटि यथा कागजातों की त्रुटि, चिकित्सीय त्रुटि के कारण इनकी नियुक्ति नहीं की गई। उक्त त्रुटियों का निराकरण कराकर प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। तत्पश्चात् प्राप्त प्रतिवेदनों की सम्यक् समीक्षा करने एवं योग्य उम्मीदवारों की कक्षपाल के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा करने हेतु विभागीय आदेश ज्ञापांक-1765 दिनांक 11.04.2017 के द्वारा संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्रशासन) की अध्यक्षता में विभागीय समिति का गठन किया गया। तदनुसार बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा नियुक्ति हेतु की गई अनुशंसा, चिकित्सीय परीक्षण एवं कागजातों की जाँच के आधार पर त्रुटि निराकरण के पश्चात् संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्रशासन) की अध्यक्षता में गठित विभागीय समिति की अनुशंसा के आलोक में अधोलिखित शर्तों के अधीन पुनरीक्षित वेतनमान् पे-बैंड 5200-20200+ग्रेड वेतन 1900/- में एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ भूतपूर्व सैनिक कोटे से निम्नांकित अभ्यर्थियों को कक्षपाल के पद पर पूर्णतः औपबंधिक/अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए उनके सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित कारा में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

क्र०	रौल नं०	अभ्यर्थियों के नाम	गृह जिला	पदस्थापित कारा का नाम
1	2	3	4	5
1	20110207	श्री विकाश चंद्र कुमार	पूर्णियाँ	उपकारा, बगहा
2	20110310	श्री करुण कुमार झा	भागलपुर	उपकारा, शेरघाटी
3	20110074	श्री बिनोद कुमार सिंह	रोहतास	उपकारा, दानापुर
4	20110611	श्री बमबम कुमार	भागलपुर	उपकारा, दाउदनगर
5	20110617	श्री शिव प्रसाद सिंह	कटिहार	उपकारा, बाढ़
6	20110099	श्री अशोक कुमार सिंह	मुजफ्फरपुर	उपकारा, बिक्रमगंज
7	20110082	श्री विमल कुमार	गया	उपकारा, दलसिंहसराय
8	20110338	श्री संजय प्रसाद सिंह	नवादा	उपकारा, रोसड़ा
9	20110872	श्री नरेन्द्र कुमार राम	भोजपुर	उपकारा, उदाकिशुनगंज
10	20110767	श्री अरुण कुमार	औरंगाबाद	उपकारा, वीरपुर

11	20110171	श्री अमरेन्द्र कुमार	मधेपुरा	उपकारा, हिलसा
12	20110106	श्री यशवन्त कुमार यादव	भागलपुर	उपकारा, मसौड़ी
13	20110763	श्री बिपिन बिहारी सिंह	भोजपुर	उपकारा, बेनीपुर
14	20110939	श्री मनोज कुमार सिंह	भोजपुर	उपकारा, झंझारपुर
15	20110443	श्री अभिनन्दन कुमार	भागलपुर	उपकारा, प्रटनासिटी
16	20110340	श्री बीर बहादुर रजक	सीवान	उपकारा, नवगछिया

2. उपरोक्त अभ्यर्थियों को निदेशित किया जाता है कि वे अपने नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित पदस्थापित कारा में इस आदेश निर्गत तिथि से 15 दिनों के अंदर अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

3. यह नियुक्ति तत्काल औपबंधिक/अस्थायी रूप से छः माह के लिए इस शर्त के साथ की जाती है कि यदि विशेष शाखा या पुलिस अधीक्षक से अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्व कृत अपराध के सत्यापन के संबंध में अथवा अभ्यर्थी द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अन्य प्रमाण-पत्रों की सम्पुष्टि संबंधित संस्थान से कराए जाने के क्रम में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है अथवा कोई गड़बड़ी पायी जाएगी तो नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा एवं अभ्यर्थी के विरुद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी।

4. नवनियुक्त कक्षपाल का योगदान स्वीकृत करने के पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-1919 दिनांक 18.01.1976 के अनुपालन में उनसे दहेज नहीं लेने/देने संबंधी घोषणा पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लेंगे।

5. वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या-1964 दिनांक 31.08.2005 एवं संकल्प संख्या-2469 दिनांक 16.11.2005 के प्रावधानानुसार बिहार सरकार कर्मचारी अंशदान पेंशन योजना, 2005 के प्रावधान प्रभावी होंगे।

6. सभी संबंधित काराधीक्षकों को निदेशित किया जाता है कि उनके कारा में पदस्थापित किए जा रहे नव नियुक्त कक्षपालों का योगदान पुनः उनके सभी मूल प्रमाण पत्रों की जाँच भंलीभांति करते हुए एवं स्वयं संतुष्ट होते हुए तीन माह के लिए औपबंधिक रूप से स्वीकृत करेंगे। योगदान स्वीकृति के उपरांत नियुक्त किए गए अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अन्य प्रमाण-पत्रों की सम्पुष्टि संबंधित संस्थान से तथा उनके चरित्र एवं पूर्व कृत अपराध के लिए सत्यापन संबंधित पुलिस अधीक्षक तथा विशेष शाखा से छः माह के अंदर कराया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा सम्पुष्टि कराए जाने के फलाफल से मुख्यालय को भी अवगत करायेंगे।

7. उपरोक्त नवनियुक्त कक्षपालों के नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि अधोहस्ताक्षरी से अधिकतम तीन माह के अन्दर अवश्य करा लेंगे। यदि तीन माह के अन्दर यह सम्पुष्टि पूर्ण नहीं होती है तो संबंधित नवनियुक्त कक्षपालों के वेतन की निकासी तब तक नहीं की जाएगी जब तक नियुक्ति की सम्पुष्टि नहीं हो जाती है।

8. किसी भी मामले में किसी प्रकार की शंका का निराकरण अथवा मार्गदर्शन हेतु सूचना मुख्यालय को तुरंत अवगत करायेंगे।

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-कारा/स्था०(कक्ष०)-02-14/2014 पार्ट-01 ५०२५ पटना, दिनांक २५/७/२०१७

प्रतिलिपि:-सभी संबंधित नवनियुक्त कर्मियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेश दिया जाता है कि वे अपने पदस्थापन कारा में योगदान के समय सभी मूल प्रमाण पत्रों एवं उनकी अभिप्रमाणित प्रतियाँ/बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा प्रदत्त प्रवेश पत्र/बुलावा पत्र एवं दो पासपोर्ट साईज का फोटोग्राफ भी ले जाना सुनिश्चित करेंगे।

3. उक्त के साथ-साथ इस आशय का शपथ पत्र भी देंगे कि उनके द्वारा समर्पित सभी शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सही हैं।

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-कारा/स्था०(कक्ष०)-02-14/2014 पार्ट-01 ५०२५ पटना, दिनांक २५/७/२०१७

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, सभी केन्द्रीय कारा/मंडल कारा/उपकारा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी अधीक्षकों को निदेश है कि नव पदस्थापित कक्षपालों के आवासन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे एवं वांछित सामग्री कारा निर्माणशालाओं से अविलम्ब प्राप्त कर नव नियुक्त कक्षपालों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. सभी वृत्त काराधीक्षकों को निदेश है कि वृत्ताधीन नव नियुक्त कक्षपालों के प्रशिक्षण की व्यवस्था तीन माह के अन्दर वृत्त स्तर पर किया जाना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित कारा एवं वृत्त कारा की सुरक्षा संबंधी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाए जिससे कि कारा सुरक्षा प्रभावित न हो।

4. उपरोक्त आदेश की सभी कंडिकाओं का अक्षरशः अनुपालन ससमय सुनिश्चित किया जाए।

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-कारा/स्था०(कक्ष०)-02-14/2014 पार्ट-01 ५०२५ पटना, दिनांक २५/७/२०१७

प्रतिलिपि:-सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 1670/आ० दिनांक 21.05.2015 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-कारा/स्था०(कक्ष०)-02-14/2014 पार्ट-01 ५०२५ पटना, दिनांक २५/७/२०१७

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-कारा/स्था०(कक्ष०)-02-14/2014 पार्ट-01 ५०२५ पटना, दिनांक...२५/७.../2017
प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।



महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-कारा/स्था०(कक्ष०)-02-14/2014 पार्ट-01 ५०२५ पटना, दिनांक...२५/७.../2017
प्रतिलिपि:-आई० टी० मैनेजर, गृह विभाग को सी0डी0 सहित सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनु०-यथावत्।


महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।


[Faint text and signature]


[Faint text and signature]


[Faint text and signature]


[Faint text and signature]